न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) घासा, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 13/22 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS No : 2022/20

1. शंकरलाल पिता पृथ्वीराज ब्राह्मण निवासी जावड तहसील घासा।
   1/1 सुरेश कुमार पिता शंकरलाल व्यास जावड तहसील घासा।
   1/2 राधा पत्नी तोलीराम व्यास निवासी पावनिया तहसील नाथद्वारा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कसना पिता एकलिंग गुर्जर निवासी जावड तहसील घासा।
2. छगनलाल पिता एकलिंग गुर्जर निवासी जावड तहसील घासा।
3. वरदा पिता एकलिंग गुर्जर निवासी जावड तहसील घासा।
4. नारू पिता एकलिंग गुर्जर निवासी जावड तहसील घासा।
5. नारायण पिता मथरा गुर्जर निवासी जावड तहसील घासा।
6. फेफाबाई पत्नी मथरा गुर्जर निवासी जावड तहसील घासा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, घासा जिला उदयपुर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 03.02.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जावड, पटवार हल्का, जावड तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1594, 2117, 2675, 2676, 2677 किता 5 कुल रकबा 0.8903 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर 1/5 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजियात पर मैं प्रार्थी सदीप से खेती करता चला आ रहा हूं तथा उसमें से मेरे कब्जे काश्त एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 2675, 2678, 2676, 2677 किस्म कुआ में 1/5 वे हिस्से पर कब्जे काश्त होकर शांति पूर्वक खेती करता चला आ रहा हूं उक्त वर्णित जमीन के उत्तर दिशा में आराजी नम्बर 2679 किस्म कुआ है, तथा उस कुए से उत्तरी दिशा में आराजी नम्बर 2683 जो कि विपक्षीगणों के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है, उसमें से एक रास्ता कुए से होकर आराजी नम्बर

2683 की उत्तरी सीमा पर जाकर खतम होता हैं जो कि आराजी नम्बर 2708 किस्म रास्ता से जुडा होकर मुख्य गांव के रास्ते पर खुलता है, इस रास्ते का उपयोग मैं प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजियात में जाने के लिये सदीप से उपयोग–उपभोग कर रहा हूं, मेरी आराजी नम्बर 2676 के दक्षिण दिशा की ओर मेरे खातेदारी कुआ स्थित है तथा कुए के पीछे की ओर आराजी नम्बर 2657 किस्म नाला होकर बरसाती नाला है जो मेरे खातेदारी जमीन से सटमा होकर पश्चिम दिशा की ओर निकलता है जिसके पीछे की ओर कोई रास्ता मौजुद नहीं है।

3. यह कि दिनांक 13.01.2006 को तहसीलदार घासा द्वारा मौका रिपोर्ट उक्त रास्ते बाबत भी बनाई गई थी, जिसमें तहसीलदार, घासा द्वारा मौका रिपोर्ट बनाते वक्त लालु पिता केरिंग गुर्जर के द्वारा आराजी नम्बर 2682, 2683 तक रास्ते के अवरूद्ध करने की रिपोर्ट बनाई थी, जिनमें तहसीलदार घासा द्वारा कुए तक रास्ता अवरूद्ध होने की मौका रिपोर्ट तैयार की थी। ग्राम पंचायत जावड द्वारा मौका निरीक्षण भी किया गया। जिसमें लालुराम पिता केरिंग गुर्जर द्वारा आराजी नम्बर 2683 तक रास्ता होने की बात के साथ–साथ रास्ते पर अतिक्रमण थोहर की बाड को जबरन काट कर रास्ते की जमीन को अपने खेत मे ंमिलाने की रिपोर्ट तैयार की थी। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा नियमित सुनवाई के उपरान्त दिनांक 22.01.2007 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–251 जा.फो. के तहत कार्यवाही की तथा उक्त दिनांक को लालुराम द्वारा सहमति प्रदान की गई थी कि खेत में वर्तमान में फसल खडी है फिर भी रास्ता निकालने को तैयार है और शंकरलाल को आने–जाने के लिये मना नहीं करूंगा। सीमा जानकारी करवा कर बाड करूंगा तथा पुरा रास्ता खोल लुंगा और मौके पर डाले गये कांटे हटाये गये परन्तु फिर भी वर्तमान में रास्ते की समस्याएं यु–की यु बनी हुई है।

4. यह कि मैं प्रार्थी आराजी नम्बर 2708 किस्म रास्ते का उपयोग–उपभोग करते हुए आराजी नम्बर 2083 में से बने हुए पुराने रास्ते से होकर अपनी आराजी नम्बर 2675 तक बेलगाडी एवं अन्य कृषि यंत्र आदि ला लेजा कर खेती करता चला आ रहा हूं तथा इसके अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता मेरी खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु नहीं है यही एक मात्र निकटतम रास्ता है जिससे मैं अपनी आराजियात पर आता जाता रहता हूं, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। उक्त रास्ता अवरूद्ध हो जाने से मेरी आराजियात पर आने–जाने एवं कृषि कार्य में भारी दिक्कते पैदा हो रही है। जिस कारण मैं प्रार्थी अपनी आराजियात का उपयोग–उपभोग करने में असहज महसुस करता हूं जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण को रास्ते को बंद नहीं करने हेतु कहा तो मुझ प्रार्थी के साथ गाली गलोच

करने लगे और लडने झगडने पर उतारू हुए है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अन्त निवेदन किया कि विवादों से बचने के लिये उक्त रास्ते को खुलवाया जाना आवश्यक है तथा मैं प्रार्थी नियमानुसार निर्धारित राशि को जमा कराने को तैयार हूं। राजस्व रिकार्ड में भी उक्त रास्ते का अंकन करवाया जाना आवश्यक है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3, 5, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एक तरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया। विपक्षी संख्या 4 ने स्वयं उपस्थित होकर 12 फीट तक रास्ता देने हेतु सहमति प्रदान की।

6. तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 2675, 2676 एवं 2677 में प्रार्थी शंकरलाल पुत्र पृथ्वीराज ब्राह्मण 1/5 हिस्सा से संयुक्त खातेदार है। खसरा नम्बर 2678 में वजी पत्नी रूपा ब्राह्मण खातेदार है। प्रार्थी श्री शंकरलाल पिता पृथ्वीराज ब्राह्मण को अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2675, 2676 एवं 2677 में आने जाने का खसरा संख्या 2686 मे से प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है। प्रार्थी खातेदार को अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध नहीं हो सकता है। खसरा संख्या 2683 में से प्रस्तावित रास्ता 78 मीटर लम्बाई एवं 9.14 मीटर (30 फीट) चौडाई कुल 714 वर्गमीटर अर्थात 0.0714 हैक्टेयर रास्ता प्रस्तावित है। यह कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि सिंचित होकर वर्तमान डीएलसी दर 1289827 रूपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते की कुल कीमत 92094 रूपये होती है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक, थामला एवं पटवारी हल्का जावड, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की गई।

7. अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता ¼Absolute Necessitल) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और

द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए।

9. चूंकि प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए का है जिसमें निम्नांकित तीनों बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित है :

(i) क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है :

प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम जावड पटवार हल्का, जावड तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 398 पर दर्ज आराजी नम्बर 2675, 2676, 2677 किता 3 कुल रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम संयुक्त खातेदारी अधिकार से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्व नक्शे के अवलोकन से भी स्पष्ट हैं कि प्रार्थी की आराजी तक आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रार्थी की भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अर्थात प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि पर आने जाने का रास्ता नही है।

(ii) क्या प्रार्थी खातेदार को नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) है :

राजस्व नक्शे एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर जाने का कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी खातेदार को अपनी भूमि पर फसल बोने, सिंचाई करने, फसल काटने आदि कृषि कार्य करने हेतु समय–समय पर आवागमन करना होता हैं। किन्तु प्रार्थी की भूमि तक आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि प्रार्थी की भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट हैं कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने हेतु आवागमन के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है।

(iii) क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है :

तहसीलदार घासा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य नवीनतम रास्ता उपलब्ध नही है। नक्शा ट्रेस के अवलोकन से भी तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता सबसे न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रतीत होता है। बिलानाम सार्वजनिक रास्ते एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 2675 के मध्य विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2683 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ न्यूनतम दूरी का रास्ता विपक्षी की आराजी नम्बर 2683 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही न्यूनतम दूरी वाला है।

यदि रास्ता उपलब्ध नही है और खातेदार को रास्ते की अतिआवश्यकता है तब सबसे निकटतम रास्ता दिया जाता है। ऐसे में न्यायालय को प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु निकटतम रास्ता दिया जाना है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते की लम्बाई 78 मीटर एवं चौड़ाई 30 फीट है। न्यायालय का मानना है कि खातेदार को केवल मात्र कृषि यन्त्र लाने व ले जाने हेतु ही रास्ता चाहिए। अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं द्वारा भी दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी को 30 फीट रास्ता नहीं चाहिए। प्रार्थी को केवल मात्र 12 फीट रास्ता ही चाहिए। ऐसे में न्यायालय का मानना हैं कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 78 मीटर रखते हुए रास्ते की चौडाई केवल मात्र 12 फीट ही चौडाई के साथ रखा जाना उचित हैं। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के

तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि की डीएलसी 1289827 रुपये प्रति हैक्टेयर से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा 0.0714 हैक्टेयर अनुसार राशि रूपये 92094 रूपये बनती है तथा दुगुनी दर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 714 वर्गमीटर के 184188 रूपये बनते है लेकिन न्यायालय का मानना हैं कि तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.2.2024 को प्रस्तुत की गई थी। जिसके कारण वर्तमान में डीएलसी दर का अवश्य ही परिवर्तन हो चुका है। साथ ही तहसीलदार द्वारा गणना रिपोर्ट 30 फीट चौडाई के रास्ते की की गई हैं जबकि न्यायालय द्वारा प्रार्थी को रास्ता केवल मात्र 12 फीट चौडाई के साथ ही दिया जाना है। ऐसे में तहसीलदार को न्यायालय के आदेशानुसार गणना रिपोर्ट पुनः किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम जावड पटवार हल्का, जावड तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 392 पर दर्ज आराजी नम्बर 2683 रकबा 0.2914 हेक्टेयर भूमि में आराजी नम्बर 2682, 2681 के सटमा 78 मीटर लम्बाई एवं 12 फीट चौड़ाई की भूमि को बिलानाम गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि रास्ते में प्रयुक्त भूमि का हाल राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों (डीएलसी) से प्रस्तावित भूमि की गणना कर गणना राशि का दुगुना प्रतिकर प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार विपक्षीगण/खातेदारो को उनके हिस्से अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। विपक्षीगण/खातेदारो द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप

से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली,जिला उदयपुर